b) The Constitution (Eightieth Amendment) Bill, 1996.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would like to know whether the Government is really interested in the Insurance Bill. ... *(Interruptions)* ...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: लोकपाल बिल की क्या पोजीशन है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will find out. ... *(Interruptions)* ...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): मैडम डिप्टी चेयरमेन, मैं भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र बाहर हो रहा है, जैसे इन्शोरेन्स बिल है और लोकपाल बिल का कभी हम सुनते है कि आ रहा है, कभी सुनते हैं कि नहीं आ पा रहा है। इसी तरह से यह कहा जाता है कि चीफ जस्टिस एनाउन्स है, उसका नाम भी ले दिया जाता है बिना प्रक्रिया पूरी किए हुए। वह यहां हमको क्यों नहीं बताया जाता? इसके साथ-साथ यह भी बाहर अखबारों में निकलता है कि जुडिशियरी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अभी बहुत से अपने बिल सरकार ला रही है। यह इस तरह की सब बातें बाहर की जाती हैं, लीकआऊट सरकार की तरफ से की जाती हैं। हमको, सदन को क्यों नहीं इसके बारे में कॉन्फीडेन्स में लिया जाता? पारदर्शिता की अगर बात है तो हमें कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए कि आप किसको चीफ जस्टिस बनाने वाले हैं। आप यहां एनाउन्स करिए। अगर आप कोई बिल लाना चाहते हैं एम॰पीज॰ को करप्शन एक्ट से हटाने के लिए, तो उस बारे में हमको बताइए और यहां पर घोषण करिए।

यह तरह-तरह की जो बाहर बातें की जाती हैं, जो नियम और पॉलिसी के संबंध में है, यहां पर इतने सदस्य है, किसी को भी इनके बारें में मालूम नही है।

उपसभापति: आपने इन सब बिलों की बात करी, मगर आपने महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन के बिल की बात नहीं करी, बड़े अफसोस की बात है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैडम, मैं क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि वह भी एक अति-आवश्यक बिल था, उसके संबंध में भी सबको अंधेरे में रखा गया है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे (महाराष्ट्र): वह आ रहा है।

उपसभापति: क्योंकि आपको फिकर है लोकपाल बिल की, किसी को फिकर है इंश्योरेंस की, मगर जो महिलाओं को आप सब पार्टीज़ ने मिलकर 12 मार्च को एक इंश्योरेंस दी थी और एश्योरेंस दी थी, उस ऐश्योरेंस की क्या इंश्योरेंस है वह कोई नहीं बोल रहा, न आप अंदर बोल रहे हैं और न बाहर बोल रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उस बिल को लाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, हम सब तो उसका समर्थन कर रहे हैं।

उपसभापति: आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, यही तो मुझे शिकायत है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: एजेंडा में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे?

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: इसलिए हम नहीं बोले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वह डेफिनेट्ली आ रहा है।

उपसभापति: यादव जी ने यह बात कही है कि क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत है, आप लोगों को भरना पड़ेगा यहां पर, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं और मुझे बोलना पड़ा।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट के बारे में भी कभी कहा जाता है कि हटाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि नहीं हटाया जाएगा। क्या होगा। इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए? आई॰एम॰डी॰टी॰ एक्ट के बारे में भारत सरकार की दृष्टि क्या है?

उपसभापति: अभी मुझे जो नाम लिस्टिड हैं, उनको बुलाना है, काफी समय निकल गया है। How can I finish. मंत्री जी, जो बोला जा रहा है, सब का जवाब दीजिएगा। लास्ट में जो मैंने बोला है, उसका पहले जवाब दीजिएगा। डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद।

RE. NEW RAILWAY LINES IN ANDHRA PRADESH

डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं आंध्र प्रदेश से संबंधित एक विशेष विषय की ओर आपके माध्यम से इस माननीय सदन का और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

The rail track along the coastline of Andhra Pradesh is generally swept away by cyclonic floods, almost every year disturhing all train services. Consequently, the economy of the

nation is adversely affected. Because of the vulnerability of the coastline the Government of India must think of an alternate rail line in the interior of Andhra Pradesh, off die sea coast. I would suggest that a new railway line from Nadikudi to Venkatagiri via Vinukonda, Darsi, Pondili and Kanigiri, may be constructed by the South Central Railway. Madam, I understand that survey for the aforesaid line has already been made.

Madam, you would appreciate if I say that this Government must rise to the occasion and construct a new railway line in the backward areas where there is no rail link. I would like to bring to die notice of this august House that after independence, the Government of India could lay hardly 8,000 kms. of railway line when compared to the Britishers who could lay 55,000 kms. of railway line within a span of 96 years. I, dierefore, appeal once again that an alternate railway line from Madras to Vijayawada may immediately be constructed so that the backward areas in die districts of Guntur, Prakasam and Nellore in Andhra Pradesh, can be developed early.

Similar action may also be taken for developing North-Eastern States whose capitals are not connected with Delhi. I would once again request die hon. Railway. Minister to consider and include my proposal for construction of a new railway line from Madras to Vijayawada in the next Budget for die year 1997-98. Thank you.

RE, CLOSURE OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY FOLLOWING DEATH OF A STUDENT IN POLICE FIRING ON 1/2ND OCTOBER, 1996

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा सरकार के सामने और सदन के सामने रखने वाला हूं। गुलाम हिन्दुस्तान में बहुत कम तालीम थी और शायद हमारे अनपढ़ होने का, अनऐजुकेटिड होने का अंग्रेजों ने ज्यादा फायदा उठाया, गुलामी के दिन ज्यादा लम्बे हुए और उनकी साम्राज़ियत ज्यादा दिन हिन्दुस्तान में चली। ऐसे जमाने में, जब लोग तालीम की तरफ बहुत कम नजर रखते थे, दो लोग इस मुल्क में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बड़ी तकलीफें उठाकर एक नया पैग़ाम समाज को दिया - मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद साहब। दोनों ने अंग्रेज़ों जैसी ज़ालिम साम्राज़ियत से अपनी तालीम के प्रोग्राम को मनवाने में कामयाबी हासिल की और इस तरह एक यूनिवर्सिटी बनारस में कायम हुई जिसे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया और दूसरी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कायम हुई, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया।

बहुत से नशेबोफराज़ आए और अफसोस यह है कि आजाद हिंदुस्तान में जैसे-जैसे सरकारें बदलीं और नए-नए दल सत्ता में आए, उनके देखने का तरीका बदलता चला गया। एक वक्त वह आया जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी कैरेक्टर खत्म हुआ और फिर लोग सड़कों पर उतरकर आए और रेस्टोरेशन ऑफ माइनोरिटी कैरेक्टर हुआ। आम तौर पर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कोर्ट होती है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही है। वाईस-चासंलर ने चयन के लिए कोर्ट 5 नाम देती है। ऐक्ज़ीक्यूटिव काऊंसिल उन 5 में से 3 नामों का चुनाव करती है और ये 3 नाम फिर विज़िटर को जाते हैं जो कि राष्ट्रपति महोदय हैं। उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाईस-चासंलर होता है।

महोदया, यह एक विडंबना ही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बनते वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने खुद अपनी कौम से और अंग्रेजों से मुकाबला करके इस यूनिवर्सिटी को बनवाया ठीक उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सर सैयद अहमद खान ने भी अपने लोगों से मुकाबला किया। मसलन उन्हें एक पार्सल मिला, जिसमें एक जूतों का हार था और एक खत था जिसमें लिखा था कि "सर सैयद अहमद, चूंकि तुम क्रिस्टान हो गए हो या ईसाई हो गए हो, तुम यह हार अपने गले में पहन लो"। लाहौर के इज़लास में जब सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लेने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने उन पर पत्थर और जूते फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने वजह पूछी तो लोगों ने कहा कि - "सर सैयद अहमद, चूंकि तुम काफिर हो गए हो, इसलिए तुम्हें मुसलमानों के इदारे को कायम करने का हक नहीं है और हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे"। उन सर सैयद अहमद ने अपनी ही कौम के पत्थर खाते हुए यह कहा कि क्या इस्लाम किसी काफिर को मुसलमान होने का इज़ाज़त नहीं देता? यह कहकर उन्होंने "ला इल्लाह इल्लल्लाह, मुहम्मदु-र-रसूलल्लाह" कहकर उन्होंने लोगों के गुस्से को ठंडा कर दिया। तारीख इस बात की गवाह है कि उस जलसे में जो औरतें बहुत गुस्से में आई थीं, उन्होंने अपने कानों के बुंदे निकालकर सर सैयद अहमद की झोली में डाल दिए। सर सैयद